P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-10* June- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्रामीण समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की बदलती सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति

सुमित्रा शर्मा
सहायक आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान
भारत

सारांश

अनुसूचित जाति की महिलायें समाज में सबसे कमजोर समूह का निर्माण करती है। सदियों से अनुसूचित जाति समूह भारतीय समाज में शोषित, उपेक्षित एवं कमजोर समूह रहा है। भारतीय सामाजिक पद सोपान व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलायें प्राचीन काल से ही निम्नतर स्तर पर रहीं है। शताब्दियों के शोषण, अन्याय और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन धारा से पृथकता के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं में दासता की मनोवृत्ति का विकास हुआ। अतः इन्होंने अत्याचारों व शोषण का विरोध करने के बजाए अपनी निम्न स्थिति को भाग्य निर्धारित या पूर्व जन्मों के कर्मफल मानकर स्वीकार कर लिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, अब अनुसूचित जाति की महिलायें सामाजिक–आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है और अपने प्रति होने वाले अन्याय व भेदभाव के खिलाफ विरोध भी प्रकट करती है। प्रस्तुत प्रपत्र में राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की परिवर्तित होती सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द : अनुसूचित जाति, लैंगिक, वर्ग, संस्तरण, स्तरीकरण।

प्रस्तावना

भारत में लैंगिक असमानता प्रत्यक्षतः देखी जा सकती है, स्त्री को यहाँ की व्यवस्था में दोयम दर्जे का ही स्थान मिला हुआ है चाहे कितनी भी सक्षम क्यों न हो यह पीड़ा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ और बढ़ जाती है। अनुसूचित जाति की महिलायें दलित समूह में और भी दलित स्थिति पर है। जहाँ एक ओर अनुसूचित जाति की महिला को लैंगिक आधार पर कई प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण का शिकार होना पड़ता है, वहीं पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में उपेक्षित रहने को भी उसे मजबूर होना पड़ता है।

अनुसूचित जाति समूह की महिलाओं को तीन आधारों पर भेदभाव व शोषण का सामना करना पड़ रहा है, वे आधार है– जाति, वर्ग एवं लिंग । जाति व वर्ग व्यवस्था के नाम पर अनेकानेक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक निर्योग्यताओं को झेलने के साथ ही महिला होने के कारण भी वे ऐसी ही अनेकानेक बंधनों, निषेधों, शोषण, अपमान और अत्याचारों से जूझती रही है व सहन करती रही।

वर्तमान में ग्रामीण समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति में तेजी में परिवर्तन आ रहा है, इसका प्रमुख कारण शिक्षा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में अपने सांवैधानिकअधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं में सशक्तिकरण की प्रक्रिया तीव्रगति से बढ़ रही है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में सशक्तिकरण के साथ ही बढ़ते स्तरीकरण को भी स्पष्टतः देखा जा सकता है। उच्च जातियों के साथ समानता के संघर्ष में स्वयं अनुसूचित जाति में असमानता एवं गैर बराबरी बढती जा रही है।

अनुसूचित जाति का जनसंख्यात्मक चित्रण

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 18.5% जनसंख्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहीं 12.6% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में। भारत में जहाँ लैंगिक अनुपात 940:1000 है वहीं अनुसूचित जाति में स्त्री पुरूष लैंगिक अनुपात 946:1000 है। देश की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है।

राजस्थान में देश की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 6.1% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,22,21,593 है जोकि कुल जनसंख्या का 17.8 प्रतिशत है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 18.5% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है व 15.7% नगरीय क्षेत्रों में। साक्षरता के आधार पर राज्य में साक्षरता दर 66. 1% है इसमें पुरूष साक्षरता 79.2% है व महिला साक्षरता 52.1% है। अनुसूचित जाति में कुल साक्षरता दर 59.8% है। इसमें पुरूष साक्षरता की दर 73.8 व महिला साक्षरता की दर 44.63 है। राजस्थान में लैंगिक अनुपात 928:1000 है, वहीं राज्य में अनुसूचित जाति में लैंगिक अनुपात 923:1000 है। जिले की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या श्रीगंगानगर जिले में 36.58% व सबसे कम डूँगरपुर जिले में 3.76% है।साक्षरता के संदर्भ में अनुसूचित जाति में साक्षरता में सबसे अग्रणी जिला झुंझुनू है इसमें अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 67.50% है व सबसे निचले स्तर पर जालोर जिला में 49.98: साक्षरता है। झुंझुनू जिले में अनुसूचित जाति में पुरूष साक्षरता 82.55% व महिला साक्षरता 55.82% है, वहीं जालोर जिले में पुरूष साक्षरता 64.99% व महिला साक्षरता 33.87% है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रस्थिति : एक ऐतिहासिक विश्लेषण

राजस्थान में प्राचीन काल से ही जमींदारी, जागीरदारी व सामन्तशाही व्यवस्था चली आ रही है। इन व्यवस्थाओं में शासक द्वारा आम गरीब जनता का शोषण किया जाता था, गरीब जनता विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों का। अनुसूचित जाति के लोगों को शासक वर्ग अपनी बपौती मानता था व जैसे चाहे कार्य करवाता था। अनुसूचित जाति के लोगों से इन उच्चवर्गीय रसूखदार लोगों द्वारा बेगार करायी जाती थी। उच्च वर्गीय व उच्च जातीय लोगों के शोषण का सबसे कमजोर व आसान शिकार अनुसूचित जाति की महिलायें होती थी।

अनुसूचित जाति की महिलायें समाज में प्राचीन काल से ही जाति तथा लैंगिक आधार पर उपेक्षित होती रही हैं। वर्तमान में इस भेद के साथ वर्ग की अवधारणा भी जुड़ गई है। अतः अब अनुसूचित जाति की महिलायें जाति, तथा लिंग के साथ वर्ग के आधार के आधार पर भी भेदभाव को सहन करने को बाध्य है। किसी भी देश में वहाँ की महिलायें उस देश की आधी आबादी का निर्माण करती हैं जो देश के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकती है, यदि उसे भी समान भागीदारिता का अवसर मिले ? अनुसूचित जाति की महिलायें आबादी के इस आधे भाग का बड़ा हिस्सा है, जो अभी तक भी पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में देश विकास व समृद्धि के प्रतिमानों को कहाँ तक प्राप्त कर पायेगा, एक बड़ी चुनौती है। भारतीय समाज समानता के लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर पाया है? विशिष्ट रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के संदर्भ में। इन प्रश्नों का जवाब तभी प्रप्त हो सकता है जब क्षेत्र में जाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की वस्तुस्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाये।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षणिक प्रस्थिति में आ रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति की महिलाओं में व्यावसायिक गतिशीलता द्वारा अपनाये जा रहे नवीन एवं परम्परागत व्यवसायों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
3. अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक मूल्यों के प्रति आ रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना।

प्राक्कल्पना

1. क्या अनुसूचित जातियों में छूआछूत की समस्या वर्तमान में भी व्याप्त है?
2. अनुसूचित जाति की महिलायें सांवैधानिक प्रावधानों व सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी रखती है।
3. अनुसूचित जाति की महिलायें सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रस्थिति परिवर्तित हो रही है?

साहित्यावलोकन

आजादी के 70 साल बाद और सांवैधानिक आधार पर समानता का अधिकार दिये जाने के बाद भी भारतीय समाज में महिलायें और विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलायें कई प्रकार की असमानताओं व समस्याओं का सामना कर रही है। अनुसूचित जाति की महिलायें प्रारम्भ से ही घर–परिवार की अर्थव्यवस्था में पुरूषों के बराबर या उनसे कुछ अधिक ही भागीदार रहती है। वह कठोर परिश्रम करती है व धनोपार्जन करती है, इसके बावजूद भी पारिवारिक सदस्यों द्वारा उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। कार्यस्थल पर होने वाले शोषण, हिंसा व शारीरिक उत्पीड़न को सहन करने को वह बाध्य होती है। इस प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को दोहरे स्तर पर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है घर व कार्यस्थल दोनों स्थानों पर।

सुनैला मलिक (1979) ने हरियाणा राज्य के अम्बाला शहर में अनुसूचित जातियों के मध्य सामाजिक गतिशीलता के सामाजिक परिणामों तक पहुँचने का प्रयास इस अध्ययन में किया गया हैं। इस अध्ययन में तीन पीढ़ियों में शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रस्थिति के आधार पर सामाजिक गतिशीलता को मापा गया है। जिसके आधार पर मलिक विचार व्यक्त करते हैं कि अनुसूचित जातियों में सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति शैक्षणिक व व्यवसायिक संबंध में सशक्त हो रही है

मुमताज अली खान (1980) ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवन में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। खान का मत है अनुसूचित जाति में साक्षरता व उच्च शिक्षा में पुरूषों का प्रतिशत महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

के.एस. सिंह (1993) ने भारत में अनुसूचित जाति का सर्वेक्षण किया व अपने अध्ययन में पाया कि अधिकांश अनुसूचित जातियाँ अस्पृश्यता के सामाजिक दंश से पीड़ित है। अनुसूचित जाति में सामाजिक विभाजन भी देखा जा सकता है। इनमें उप जाति व उप समूह भी है। इन उप समूहों में सामाजिक, व्यावसायिक व धार्मिक स्तर पर

विकास कार्यक्रमों से लाभ उठानें से उनके सामाजिक स्तर में उच्चता आई जिसके परिणामस्वरूप इनमें अभिजात वर्ग का अभ्युदय हुआ व स्तरीकरण व्यवस्था पनपी। अनुसूचित जाति की महिलायें सभी प्रकार के आर्थिक व अर्थोपार्जन की कियाओं में संलग्न है साथ ही वे अपने समुदाय में सामाजिक कियाओं व अनुष्ठानों में भी कियाशील रहती है यद्यपि इन संदर्भो में उनका स्तर पुरूषों से निम्न ही माना जाता है। केवल कुछ ही महिलायें निर्णायक भूमिका में होती है।

विश्वनाथ लीला (1993) ने केरल राज्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता का गहन क्षेत्रीय अध्ययन व परिशुद्ध विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अनुसूचित जाति की महिलायें दोहरे शोषण को झेलने को मजबूर है। वे जाति व वर्गीय आधार पर उपेक्षित होती है। उन्होनें सामाजिक गतिशीलता के कारकों में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना।

ट्रोड पिल्लई वैटच्छेरा (2010) ने अपने आलेख 'अम्बेडकर की पुत्रियाँ' में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में महर महिलाओं का अध्ययन किया। सामान्यतः महर महिलाये, परम्परा से बंधी उच्च हिन्दू जाति की महिलाओं की अपेक्षा स्वतंत्र होती है। संस्कृतीकरण की प्रकिया के माध्यम से आज दलित अपनी सांस्कृतिक विश्वदृष्टि खो रहे हैं। वे उच्च जाति हिन्दू विश्व दृष्टि द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षित दलित उच्च जातीय हिन्दू संस्कारों को अपना रहे हैं। उच्च जातियों के सांस्कृतिक मूल्यों ने दलित महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है, जिससे दलित महिलाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और उन पर प्रतिबंध लगाये जा रहे है। अस्पृश्यता की चर्चा करते हुए पिल्लई कहते है कि दलित जाति की वयोवृद्ध महिलायें ही परम्परागत प्रतिबंधों को मानती है। युवा महिलायें इन प्रतिबंधों को नहीं मानती व इनके विरूद्ध आवाज भी उठाती है।

पी.जी. जोगदण्ड (2013) ने भारत में दलित महिलाओं के संदर्भ में नवीन मुद्दों को उठाया। दलित महिलायें भारतीय समाज में निचले स्तर की संरचना को निर्मित करती है। समाज में वे दोहरे आधार पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती है प्रथम दलित होने के कारण द्वितीय महिला होने के कारण। जाति व लिंग के अन्तःसंबंध के कारण दलित महिलाओं को ना तो जातीय अध्ययन में ना ही लैंगिक अध्ययन में गिना जाता है। मुख्य धारा की महिलाओं के आन्दोलन में दलित महिलाओं की समस्याओं की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। अतः दलित महिलाओं की समस्याओं को पृथक श्रेणी के रूप में समझने की आवश्यकता है।

गुर्राम श्रीनिवास (2016) ने हैदराबाद शहर में दलित मध्यम वर्ग के उद्भव, विकास व दृढीकरण पर अध्ययन किया है। दलित मध्यम वर्ग अब अधीनस्थ व पीड़ित के रूप में नही है, अतः वे अपनी वास्तविक जड़ों से दूर हो चुके हैं। दलित मध्यम वर्ग को उच्च हिन्दू जातियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकी दलित गतिशीलता से उनमे भय उत्पन्न हो रहा है।

अध्ययन पद्धति एवं शोध क्षेत्र

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में सीकर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं की परिवर्तित होती सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन के लिये सीकर जिले के दो गांवों का चयन किया गया इनमें गोकुलपुरा गांव नगरीय सीमा के समीप है तो डूकिया गांव नगरीय सीमा से दूर स्थित हैं।

अध्ययन क्षेत्र

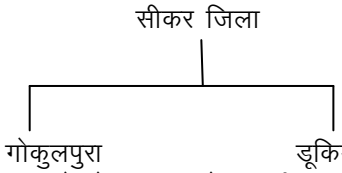

आंकड़ों के संकलन हेतु स्तरीकृत निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक गांव से 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया इस प्रकार कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितियक स्त्रोतों के आधार पर आंकड़े एकत्रित किये गये।

गोकुलपुरा गांव

गोकुलपुरा गांव राजस्थान राज्य के सीकर जिले की पीपराली पंचायत समिती में स्थित है। यह गांव जिला मुख्यालय सीकर से 4 कि.मी दूर दक्षिण में स्थित है। गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या गांव की कुल जनसंख्या का 26.38 प्रतिशत है।गोकुलपुरा गांव में अनुसूचित जातियों में– बलाई, हरिजन, बावरिया, नायक और नट जाति के लोग निवास करते हैं।

गांव में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के प्रति किया जाने वाला सामाजिक भेदभाव व उनके मध्य सामाजिक दूरी लगभग नही के बराबर हैं लेकिन यह तथ्य सिर्फ बलाई जाति के संदर्भ में ही सही है, हरिजन, बावरिया व नट के संदर्भ में भेदभाव व सामाजिक दूरी अभी भी बनी हुई है, यह भेदभाव ना केवल उच्च जातियों द्वारा किया जाता है वरन अनुसूचित जातियों के मध्य भी भेदभाव देखने को मिला।

डूकिया गांव

डूकिया गांव एक मध्यम आकार का गांव है, जो राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील में स्थित है। जिला मुख्यालय सीकर से गांव की दूरी लगभग 29 किमी. है। गांव की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1476 है। गांव में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 506 है, जो कुल जनसंख्या का 34.28% है। इसमें पुरूषों की जनसंख्या 247 है व महिलाओं की 259 है।डूकिया गांव में अनुसूचित जाति में बलाई, रैगर, खटीक, नट व हरिजन जाति निवास करती है। बलाई जाति के सिरावता और चाहिल्या गोत्र हैं। रैगर में मुण्डोलिया, डबरिया, कुदीणिया व कुलदीप, खटीक में बींवाल और हरिजन में ठींकिया गोत्र हैं।

शोध परिणाम

अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षणिक प्रस्थिति

शिक्षा ही वह आधार है जो व्यक्ति को स्वयं के सम्बंध में एवं समाज के संदर्भ में जागरूक करता है, अधिकारों का ज्ञान कराता है, उचित–अनुचित को बताता

है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान निर्मित करने का राज्यों को आदेश दिया गया। यह प्रावधान राज्य को सामान्य व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने को निर्देशित करता है। अनुसूचित जातियों में शैक्षणिक स्तर को उच्च करने, उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये सरकार द्वारा कई योजनाऐं चलायी जा रही हैं।शैक्षणिक गतिशीलता के आधार पर गतिशीलता के अन्य आयामों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः अनुसूचित जातियों में शैक्षणिक स्तर को उच्च करने, उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये सरकार द्वारा कई योजनाऐं चलायी जा रही हैं। विद्यालय स्तर व उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त यूजीसी द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पीएच.डी. व पोस्ट डॉक्टरल के लिये फैलोशिप प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति में शैक्षणिक गतिशीलता को बढावा देना है।

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

सारणी–1

		गोकुलपुरा		डूकिया		प्रतिशत	
क्र.स.	**शैक्षणिक स्तर**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**	**कुल**	**प्रतिशत**
1	निरक्षर	11	22	12	24	23	23
2	साक्षर	11	22	17	34	28	28
3	प्राथमिक	07	14	04	08	11	11
4	उच्च प्राथमिक	08	16	03	06	11	11
5	माध्यमिक	02	04	03	06	05	05
6	सीनियर सैकण्डरी	03	06	04	08	07	07
7	स्नातक	05	10	05	10	10	10
8	स्नातकोत्तर एवं अन्य व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा	03	06	02	04	05	05
	कुल	50	100	50	100	100	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। 77% महिलायें साक्षर है और कुल 49% महिलायें औपचारिक रूप से शिक्षित है। निरक्षर महिलाओं की संख्या डूकिया गांव में अधिक है लेकिन अन्तर बहुत अधिक नहीं है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में जागरूकता लाने में सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृति योजनाओं का योगदान प्रमुख है। सदियों से शिक्षा से वंचित रही अनुसूचित जाति समूह की महिलायें इन योजनाओं का लाभ उठा रही है, जिसके कारण औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रतिशत में बढ़ोतरी स्पष्टतः शोध कार्य के दौरान देखी गई। शैक्षणिक गतिशीलता सर्वाधिक रैगर, बलाई व खटीक जाति की महिलाओं में देखी गई। विशेष रूप से उन महिलाओं में जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का शैक्षणिक स्तर उच्च रहा हो या पारिवारिक सदस्यों की सरकारी सेवा में भागीदारिता हो।

हरिजन, बावरिया एवं नट जाति में शैक्षणिक गतिशीलता का स्तर बहुत कम है। बावरिया जाति के खानाबदोश जाति होने से शिक्षा के प्रति इनमें जागरूकता नहीं देखी गई। हरिजन जाति की महिलाओं का शैक्षणिक स्तर निम्न होने का प्रमुख कारण समाज में अभी भी उन्हें अस्पृश्य माना जाना व निम्न आर्थिक स्थिति का होना है। हालांकि उच्च जातियों द्वारा अस्पृश्यता के व्यवहार में कमी अवश्य आ रही है लेकिन पूर्णतः समाप्त अभी भी नहीं हुई।

अनुसूचित जाति की महिलायें चाहे स्वयं शिक्षित हो या नहीं हो। अपनी आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के प्रति जागरूक अवश्य है। शिक्षा के प्रति लैंगिक आधार पर समानता की धारणा रखते हुए समान अवसरों के दिए जाने में भी विश्वास रखती है। यह समानता की धारणा उन जातियों में अधिक है जो उच्च जाति के सम्पर्क में है। रैगर, बलाई व खटीक जाति की महिलाओं में पुत्र व पुत्री की शिक्षा के लिये समानता के अवसर की वैचारिकी अधिक है, लेकिन हरिजन, बावरिया व नट जाति में यह समानता की धारणा कम देखने को मिली। बावरिया, क्योंकि पूर्णतः अशिक्षित होने से शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता बिल्कुल नहीं है। हरिजन जाति में जातिगत भेद के कारण यह जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परावादिता व सामाजिक कुरीतियां (जिनमें लड़कियों की शिक्षित करना उचित नहीं माना जाता) लैंगिक भेद, अवसरों की उपलब्धता की कमी आदि के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं में शैक्षणिक गतिशीलता का स्तर कम है। अतः शैक्षणिक आधार पर अनुसूचित जाति की महिलाओं में गतिशीलता देखने को अवश्य मिल रही है लेकिन इस गतिशीलता के साथ ही स्वयं अनुसूचित जाति की महिलाओं में शैक्षणिक स्तर के आधार पर भेद भी उभर रहे है।

अनुसूचित जाति की महिलायें शिक्षा के लिए प्ररित करने वाले कारकों में सामाजिक व आर्थिक कारक को प्रमुख मानती है, उनका मत है कि यह अशिक्षा ही है जिसके कारण उनका जाति समूह व वे स्वयं सामाजिक आधार पर वंचनाओं व उपेक्षाओं को झेलने को बाध्य थी। अतः शिक्षा के द्वारा सामाजिक बुराईयों से लड़कर व आर्थिक आधार पर सशक्त होकर वे अपने खिलाफ होने वाले भेदभावों से लड़ पाएगी।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति

अनुसूचित जाति की महिलायें अपने जातिगत, परम्परागत व्यवसायों को छोड़कर नवीन व उच्च समझे जाने वाले व्यवसायों को अपना रही है। ये परम्परागत व्यवसायों को अपनी सामाजिक, आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का कारक मानती है। इसके अतिरिक्त इन परम्परागत व्यवसायों में परिश्रम व लागत अधिक लगता है व आय कम होती है। अतः सामाजिक व आर्थिक कारणों से अनुसूचित जाति की महिलायें इन परम्परागत व्यवसायों को नहीं करती। परम्परागत व्यवसायों को करने वाली महिलाओं में हरिजन जाति की महिलायें प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन जाति की महिलाओं के परम्परागत व्यवसायों को करने का प्रमुख कारण है कि उच्च जाति द्वारा उनके प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाना, भेदभाव रखना व निजी क्षेत्र में उन्हें अन्य कोई व्यवसाय नहीं मिल पाना प्रमुख है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह भी देखने को मिला किसी कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो चुकी है। परम्परागत व्यवसायों का स्वरूप भी परिवर्तित हो चुका है। अनुसूचित जाति की महिलायें उच्च जातियों को जजमानी व्यवस्था के आधार पर सेवायें प्रदान ना करके संविदा के आधार पर या दैनिक मजदूरी लेकर सेवाएं प्रदान करती है।

उत्तरदाताओं के विभिन्न व्यवसायों के आधार पर वर्गीकरण

सारणी–2

		गोकुलपुरा		डूकिया		प्रतिशत	
क्र.स.	व्यवसायों का वर्गीकरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
1	कृषि/स्वयं की भूमि पर कार्य	16	32	13	26	29	29
2	स्वयं का व्यापार/व्यवसाय	02	04	01	02	03	03
3	सरकारी नौकरी	02	04	03	06	05	05
4	गैर–सरकारी नौकरी	03	06	03	06	06	06
5	अकुशल व्यवसाय (मजदूरी/श्रमिक आदि)	09	18	11	22	20	20
6	कुशल व्यवसाय (मिस्त्री, सिलाई, बढई आदि)	04	08	05	10	09	09
7	परम्परागत व्यवसाय	02	04	01	02	03	03
8	गृहिणी	12	24	13	26	25	25
	कुल	50	100	50	100	100	100

सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की कुल 97प्रतिशत उत्तरदाता परम्परागत व्यवसायों को नहीं करती। परम्परागत व्यवसायों को छोड़ने का प्रमुख कारण है कि वे अब नरेगा(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) में मजदूरी करती है वहीं कुछ महिलायें कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती है तथा इन कार्यों के बदले उन्हे नगद भुगतान मिलता है। अनुसूचित जाति की 9 प्रतिशत महिलायें परम्परागत व्यवसायों को त्याग कर कुशल व्यवसायों को करने लगी हैं। जिनमें सिलाई करना, दरी बनाना, ब्यूटी पार्लर का कार्य करना आदि सम्मिलित है। कुशल व्यवसायों के आधार पर इन कुशल व्यवसायों को करने वाली अनुसूचित जाति की महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत तुलनात्मक रूप में डूकिया गांव में गोकुलपुरा से अधिक है।

इसका प्रमुख कारण डूकिया गांव में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की भूमिका जिसमें राजीविका एक महत्वपूर्ण सरकारी संगठन है, जिसका उत्तरदाताओं का आर्थिक दृष्टि से सहयोग करने में योगदान रहा है। सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों के प्रति अनुसूचित जाति की महिलाओं का रूझान बढ रहा है। कृषि कार्यो में महिलाओं की संलग्नता गोकुलपुरा गांव में डूकिया गांव से अधिक देखने को मिली लेकिन यह संलग्नता निम्न वर्गीय परिवारों की महिलाओं में अधिक है। गोकुलपुरा गांव में अनुसूचित जाति के समर्थ परिवार कृषि कार्य के लिये कृषि श्रमिक रख लेते है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की मात्र 3 प्रतिशत महिलायें ही परम्परागत व्यवसायों को करती है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलायें परम्परागत व्यवसायों को त्याग कर अन्य व्यवसायों को अपनाने लगी है ये वे व्यवसाय है जो समाज में घृणित व दूषित नहीं समझे जाते।

अनुसूचित जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता सर्वाधिक रैगर, बलाई व खटीक जाति समूह की महिलाओं में देखी जा सकती है। इसमें भी रैगर जाति की महिलाओं में क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के संदर्भ में रैगर जाति

की महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। रैगर, बलाई व खटीक जाति समूह की महिलायें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में अध्यापिका, नर्स, बैंककर्मी के रूप में कार्य कर रही है। इन जातियों में शिक्षित महिलायें स्वयं तो परम्परागत व्यवसायों को छोड़ चुकी है साथ ही अपने परिवार की अन्य महिलाओं को भी इन परम्परागत व्यवसायों को छोड़ने को प्रेरित कर रही है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में व्यावसायिक गतिशीलता लाने में सरकार द्वारा चलाई जा रही नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योजनान्तर्गत 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिसका भुगतान वेतन के रूप में दिया जाता है, जिससे आर्थिक रूप में ना केवल वह आत्मनिर्भर हो रही है वरन पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर अपना आर्थिक सहयोग भी कर रही है।

व्यावसायिक गतिशीलता के साथ ही अनुसूचित जाति की महिलाओं में आर्थिक क्षेत्र में जागरूकता भी बढ़ी है, इनमें बैंक संबंधित जागरूकता का बढ़ना प्रमुख है। जिससे ये आर्थिक आधार पर सशक्त हो रही है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में आर्थिक सशक्तता को बढ़ाने में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही भामाशाह योजना प्रमुख है, जिसमें महिला मुखिया के नाम पर भामाशाह कार्ड बनाया जाता है व इसके लिये आवश्यक है महिला मुखिया के नाम बैंक में खाता हो। बैंक द्वारा खाता खुलवाने के साथ ही उपभोक्ता को एटीएम कार्ड उपलब्ध कराया जाता है या भामाशाह कार्ड के साथ ही महिला को रूपे कार्ड मिलता है, जिससे वह बी.सी. केन्द्र या एटीएम से रूपये निकलवा सकती है। यही कारण है कि गोकुलपुरा एवं डूकिया गांव में अनुसूचित जाति की कुल 92 प्रतिशत महिलाओं के बैंक खाते हैं। डूकिया गांव की 94 प्रतिशत, गोकुलपुरा में 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिला उत्तरदाताओं के नाम बैंक खाता है।

अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलायें स्वतंत्र रूप से बैंक औपचारिकता पूरी करती है व डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग का उपयोग भी करती है। निरक्षर एवं प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त महिलायें बैंक औपचारिकता के लिए पति तथा परिजनों पर निर्भर रहती है। वहीं उनके डेबिट कार्ड या रूपे कार्ड का प्रयोग भी परिजनों द्वारा ही किया जाता है लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया यह कदम सराहनीय है।

अनुसूचित जाति की महिलायें व उनके पारिवारिक सदस्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अवश्य उठा रही है लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इन बैंक खातों का संचालन इन महिलाओंके परिजनों द्वारा ही किया जाता है ये महिलायें मात्र हस्ताक्षर करती हैं। मात्र 10 प्रतिशत महिलायें ही स्वयं बैंक खातों का संचालन करती है। अतः वास्तविक रूप में आर्थिक सशक्तता के लक्ष्य से अभी दूरी है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की बदलती सामाजिक प्रस्थिति

क्या वर्तमान में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं के समक्ष जाति आधारित समस्यायें विद्यमान हैं? तथा उत्तरदाता क्या जाति व्यवस्था को अपनी प्रगति में बाधक मानती है? इन प्रश्नों के संदर्भ में उत्तरदाताओं कामत है कि उच्च जाति के साथ सम्पर्क की दर में बढ़ोतरी होने के बावजूद अभी भी उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है।

जाति आधारित भेदभाव को लेकर अनुसूचित जाति की युवा वर्ग की महिला उत्तरदाताओं में रोष देखने मिला। वहीं अनुसूचित जाति की बुजुर्ग वर्ग की महिला उत्तरदाता इन जाति आधारित भेदभावों कोपरम्परागत आधार पर सहज व स्वाभाविक मानकर स्वीकृत करती है। इन भेदभावों के बावजूद अनुसूचितजाति की महिलायें जाति व्यवस्था के पक्ष में है। परम्परागत जाति व्यवस्था को अपनी प्रगति में बाधक मानने वाली उत्तरदाताओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि अनुसूचित जाति की महिलाओं का मानना है कि जाति के आधार पर जहां भेदभाव है वहीं इसके आधार पर उन्हें कई सरकारी योजनाओं व सांवैधानिक प्रावधानों का लाभ भी मिल रहा है। अतः अनुसूचित जाति की महिलायें भेदभाव रहित जाति व्यवस्था के पक्ष में अपना मत रखती है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक स्तर

सारणी–3

		गोकुलपुरा		डूकिया		प्रतिशत	
क्र.स.	**समाजिक स्तर उच्च हो रहा है**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**	**कुल**	**प्रतिशत**
1	पूर्ण सहमत	08	16	05	10	13	13
2	सहमत	23	46	11	22	34	34
3	तटस्थ	02	04	03	06	05	05
4	असहमत	14	28	22	44	36	36
5	पूर्ण असहमत	03	06	09	18	12	12.00
	कुल	50	100	50	100	100	100

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक स्तर में सुधार के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का विश्लेषण उपरोक्त में किया गया है। उत्तरदाताओं से जब पूछा गया कि क्या अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक स्तर उच्च हुआ है? डूकिया गांव में सबसे कम महिलाएं इस मत से सहमत है। यहां कि बहुसंख्यक महिलायें इस मत को अस्वीकार करती है कि उनकी सामाजिक प्रस्थिति परिवर्तित हुई है। गोकुलपुरा गांव में

46प्रतिशत महिलाओं का मत है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन आया है। इस मत से सहमत रैगर, बलाई एवं खटीक जाति की महिलायें है लेकिन वहीं 6 प्रतिशत महिलायें इससे पूर्णतः असहमत है जो बावरिया, नट एवं हरिजन जाति की है क्योंकि उनका मत है कि उनके साथ अभी भी जाति व लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है।

निष्कर्ष

सीकर जिले के शोध क्षेत्र गोकुलपुरा व डूकिया गांव में सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न आयामों, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक,एवं सामाजिक आधारों पर अनुसूचित जाति की महिलाओं में गतिशीलता देखी जा सकती है। शहरी क्षेत्र में जहां सामाजिक भेदभाव में कमी आ रही है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों में सामाजिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन जाति के प्रति छुआछूत अभी भी जारी है जबकि सांवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत अनुच्छेद 17 के आधार पर छुआछूत प्रतिबंधित है। हालांकि छुआछूत में कमी अवश्य आयी है। सीकर जिले में कोई भी उत्तरदाता मैला ढोने का कार्य नहीं करती। परम्परागत व्यवसायों में कमी देखने को अवश्य मिली।

अनुसूचित जाति की महिलाओं को सामजिक स्तर पर जाति, वर्ग व लैंगिक आधार पर भेदभावों का सामना करना होता है। जाति आधारित भेदभावों में ग्रामीण क्षेत्रों में कमी अवश्य आ रही है लेकिन ये भेद अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुए। उच्च जातियों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव में रैगर, बलाई व खटीक जाति की महिलाओं के प्रति भेदभाव का प्रतिशत कम है। रैगर, बलाई व खटीक जाति की महिलाओं का उच्च जाति की महिलाओं के साथ जन्म, मृत्यु, विवाह, उत्सव आदि सभी सामाजिक अवसरों पर सम्पर्क रहता है। इन जातियों के प्रति सामाजिक दूरी लगभग न के बराबर है। लेकिन यह स्थिति उन्हीं परिवारों के प्रति है जो आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के है व शैक्षणिक गतिशीलता जिन परिवारों में अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन इन्ही जाति के निम्न वर्ग के परिवारों से अभी भी सामाजिक दूरी रखी जाती है।

सामाजिक भेदभाव न केवल उच्च जाति समूहों द्वारा वरन् स्वयं अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा भी हरिजन व नट, बावरिया जाति के प्रति किया जाता है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह देखने को मिला कि रैगर, बलाई व खटीक जाति के लोग बावरिया व नट जाति को अस्पृश्य तो नहीं मानते लेकिन उनसे सामाजिक सम्पर्क नहीं रखते। हरिजन जाति की महिलाओं से ना केवल सामाजिक दूरी रखी जाती है वरन् अस्पृश्यता का व्यवहार भी अनुसूचित जाति के ही अन्य समूहों द्वारा भी किया जाता है। स्वयं हरिजन जाति में भी वे परिवार जो उच्च व्यवसायों को करने लगे है व जिनकी आर्थिक स्थिति उच्च हो गई है उन परिवारों व उनकी महिलाओं द्वारा अपनी ही जाति में परम्परागत व्यवसायों को करने वाले परिवारों व महिलाओं से दूरी बना ली जाती है यथा संभव वे इन परिवारों से सामाजिक सम्पर्क कम रखते है। अतः अनुसूचित जाति समूहों में न केवल उच्च जाति समूह द्वारा वरन् स्वयं के जाति समूह में उच्च वर्ग के परिवारों व महिलाओं द्वारा किए जाने वाला भेदभाव बढ़ रहा है।

अनुसूचित जाति तथा उच्च जाति के मध्य सामाजिक दूरी कम हो रही है। लेकिन साथ ही अनुसूचित जाति की महिलाओं के मध्य नवीन सामाजिक संस्तरण उभर रहा है। इस संस्तरण का प्रमुख आधार परिवार द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय व व्यवसाय की पवित्रता व अपवित्रता प्रमुख है। शैक्षणिक आधार पर स्तरीकरण तथा वर्ग के आधार पर सामाजिक संस्तरण भी मुख्य है। संस्कृतीकरण की प्रक्रिया ने भी अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक संस्तरण को बढाया है। अनुसूचित जाति के वे परिवार जिन्होने परम्परागत व्यवसायों को त्याग कर नवीन व्यवसायों को अपना लिया तथा उच्च जातियों की जीवन पद्धति, विचारधारा, रीति रिवाज, अनुष्ठान एवं क्रियाविधि को अपना लिया है, स्वयं को अनुसूचित जाति के उप जातीय संस्तरण में उच्च मानते हैं। संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव सभी अनुसूचित जाति समूहों पर देखा गया लेकिन बलाई, रैगर तथा खटीक जाति पर संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का अधिक प्रभाव देखने को मिला। अतः बलाई, रैगर तथा खटीक जाति की महिलायें स्वयं को सामाजिक संस्तरण में उच्च मानती है व बावरिया, नट, एवं हरिजन जाति की महिलाओं से सामाजिक दूरी रखती है। विशेष रूप से हरिजन जाति की महिलाओं से। अतः इस भेदभाव को बढाने में संस्कृतीकरण का प्रमुख योगदान है, क्योंकि वे परिवार जिनकी आर्थिक प्रस्थिति उच्च हो चुकी है वे उच्च जाति के प्रतिमानों व विचारों का अनुसरण कर रहे है।

अनुसूचित जाति की युवा वर्ग की महिलायें जाति, वर्ग व लैंगिक आधारो पर किए जाने वाले भेदभावों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ रोष है, वे इन भेदभावों के विरूद्ध आवाज उठाना चाहती है व उठाती भी है। अनुसूचित जाति की बुजुर्ग व वृद्ध महिलायें जाति आधारित भेदभावों को स्वाभाविक मानते हुए व परम्परागत आधारों पर तर्क देते हुए विरोध नहीं करके स्वतः ही स्वीकार कर लेती है लेकिन युवा वर्ग की महिलायें विशेष रूप से जो शिक्षित है या किसी व्यवसाय में है इन भेदभावों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करती है। उच्च जाति के युवा पीढ़ी के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों में समानता अधिक है, अपेक्षाकृत बुजुर्ग व वृद्ध पीढ़ी के। युवा पीढ़ी में भेदभाव संबंधित मूल्यों में कमी आ रही है। समाज में जातिगत आधार पर किए जाने वाले भेद में कमी अवश्य आई है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं।

सुझाव

सरकारी नीतियों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए।

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए बनाये गए कानूनों का प्रचार–प्रसार होना चाहिए।
2. अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाये।
3. न्यायिक व्यवस्थाओं में अनुसूचित जाति की महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ग्राम स्तर पर सुनवाई के समयबद्ध एवं ठोस प्रबन्ध किए जाए।

4. अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ जाति, लिंग व वर्ग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ कठोर व त्वरित कार्यवाहीं की जाये।
5. वर्तमान समय में व्यवसाय योग्यतानुसार होने चाहिए न कि परम्परानुसार।
6. सांवैधानिक प्रावधानों व सरकारी योजनाओं का उचित प्रचार–प्रसार होना चाहिए।

अतः अनुसूचित जाति की महिलायें न केवल सामाजिक गतिशीलता के स्तर पर आगे बढ़ रही है वरन् अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रही है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

Census of India (2011), Rajasthan, Series – 09, Part-XII-B, District Census Handbook, Sikar, Village and Town wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, Rajasthan.

Census of India (2011), Release of Primary Census Abstract, Data Highlights.

Jogdand, P.G. (2013), Dalit Women: Issues & Perspectives, Gyan Publishing House, New Delhi.

Khan, Mumtaz Ali (1980), Scheduled Caste and Their Status in India, Uppal Publishing House, Delhi.

Leela, Viswanath (1993), Social Mobility Among Scheduled Caste Women, Uppal Publishing House,New Delhi.

Malik, Suneila (1979), Social Integration of Scheduled Caste, Abhinav Publication,New Delhi.

Patwardhan, Sunanda (1973), Change Among India's Harijans, Orient Longman,New Delhi.

Singh, K.S. (1993), People of India, Vol.II: The Scheduled Castes, Oxford University Press,New Delhi.

Srinivas, Gurram (2016), Dalit Middle Class: Mobility Identity and Politics of Castes, Rawat Publications,Jaipur.

Vetschera, Traude Pillai (1999), Ambedkar's Daughters: A Study of Mahar Women in Ahmednagar District of Maharashtra, in Dalits in Modern India: Vision and Values, (ed.) by S.M. Michael, Vistaar Publications, New Delhi.